केन सोसायटीज़ नेहरू पी.जी. कालेज, हरदोई।

दूरभाष नं0 05852–220042 E-mail csnpgcollegehardoi@gmail.com

(सहयुक्त : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0)

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सी.एस.एन. पी.जी. कालेज, हरदोई के अन्दर खड़ें 174 यूकेलिप्ट्स के पेड़ों की नीलामी क्षेत्रीय वनाधिकारी, हरदोई द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर **दिनांक 12.03.2024 को दोपहर 12:00 बजे प्राचार्य कक्ष में की जायेगी।** इच्छुक लकड़ी विक्रेता/लकड़ी ठेकेदार नीलामी से सम्बन्धित समस्त जानकारी एवं नीलामी की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा **महाविद्यालय की बेवसाइट csnhardoi.in से डाउनलोड कर सकते हैं।**

सी.एस.एन. पी.जी. कालेज, हरदोई में बाउन्ड्रीवाल के अन्दर लगे हुय 174 यूकेलिप्टस के पेड़ों की **सार्वजनिक नीलामी दिनांक 12 मार्च, 2024 को समय दोपहर 12:00 बजे दिन** में की जायेगी जिनकी शर्ते/शरायतनामा निम्नवत् है।

नीलामी की मुख्य शर्ते :–

01– नीलामी में बोली लगाने का अधिकारी वही व्यक्ति होगा जो नीलामी की तिथि दिनांक 12 मार्च, 2024 को महाविद्यालय में प्रातः 10 से 11 बजे के मध्य रू0 30,000.00 (रूपये तीस हजार मात्र) नकद जमा कर टोकेन प्राप्त कर लेगा।

02– नीलामी जैसा है जहॉ है के आधार पर की जायेगी।

03– नीलामी अधिकारी जिलाधिकारी एवं प्राधिकृत नियंत्रक/प्राचार्य अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी होगा।

04– अन्तिम अधिकतम बोली जिस बोलीदार के पक्ष में होगी उसे अपनी बोली की सम्पूर्ण धनराशि की 50% धनराशि कटान से पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा की स्थिति में टोकेन धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

05– उच्चतम बोलीदार को अपनी बोली से सम्बन्धित धनराशि महाविद्यालय में जमा करने के पश्चात् लिखित आदेश मिलने पर यूकेलिप्ट्स के पेड़ काटने का अधिकार होगा।

06– बोलीदार को नीलामी की शर्तो के प्रति पाबन्द रहना होगा, उलघंन करने पर बोली निरस्त कर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

07– नीलामी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह नीलामी को तुरन्त समाप्त कर दे अथवा नीलामी की तिथि बढ़ा दे तो भी बोलीदार को अपनी बोली का पाबन्द रहना होगा।

08– कोई भी बोली बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार नीलामी अधिकारी/प्राचार्य का होगा।

09– यूकेलिप्ट्स के पेड़ काटने के समय बाउन्ड्रीबाल टूटती है अथवा अन्य कोई क्षति होती है तो उसे सही कराने/प्रतिपूर्ति करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदार/ठेकेदार की होगी।

10– नीलामी अधिकार पत्र निर्गत/पाने के 10 दिन के अन्दर सम्बन्धित को यूकेलिप्ट्स के पेड कटवाना होगा।

11– यूकेलिप्ट्स के पेड उठाने से पूर्व बोली की सम्पूर्ण धनराशि महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

11– बिना किसी पूर्व सूचना के निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्राचार्य में निहित होगा।

दिनांक 05.03.2024

प्रोफेसर कौशलेन्द्र कुमार सिंह
प्राचार्य,
सी.एस.एन. पी.जी. कालेज, हरदोई।